

प्रतिवेद्य

भारत का उच्चतम न्यायालय  
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारिता  
आपराधिक अपील क्रमांक 1723/2009

अम्बी राम

.....अपीलार्थी

विरुद्ध

उत्तराखंड राज्य

.....प्रत्यार्थी

निर्णय

न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे

1. यह अपील उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के दिनांक 14.05.2009 को आपराधिक अपील संख्या 258/2001 (पुराना नंबर 1518/1991) में पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध दायर की गई थी, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से अनुमति प्रदान की थी।
2. इस अपील में शामिल छोटे विवादों की जांच करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।
3. अपीलकर्ता दीदीहाट में "कानूनगो/पटवारी के रूप में काम कर रहा था। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 (ऐतमिनपश्चात "पीसी अधिनियम" पढ़ा जाए) की धारा 5 (2) सपठित भारतीय दंड संहिता (ऐतमिनपश्चात "भादंसं" पढ़ा जाए), 1860 की धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय

अपराध कारित करने के लिए मुकदमा चलाया गया था।

4. अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप यह था कि उसने किसी गोपाल सिंह को आश्वासन दिया था कि वह उसे गिरफ्तार नहीं करेगा और न ही उसे एक लंबित आपराधिक मामले में फंसाएगा, यदि वह उसे 1200/- रुपए देगा।
5. अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि 30.09.1985 को अपीलकर्ता द्वारा गोपाल सिंह से 1200/- रुपये का अवैध परितोषण स्वीकार करते हुए गोपाल सिंह के इशारे पर इस उद्देश्य के लिए बिछाये एक जाल में एस.पी. (सतर्कता) द्वारा पकड़ा गया था।
6. सत्र न्यायाधीश, पिथौरागढ़ ने अपने आदेश दिनांक 05.08.1991 में अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे साबित पाया और तदनुसार अपीलकर्ता को पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) सपठित भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध करते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास और रु 5000/- का जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी और जुर्माना न अदा करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास और भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत तीन साल की अवधि के लिए सश्रम कारावास के दंड से दण्डित किया। दोनों सजाएं साथ साथ चलनी थी।
7. दोषसिद्धि और दंड से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। आलोच्य आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि यथावत रखी तथा जहाँ तक पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत दंडनीय अपराध का सम्बन्ध है दी गयी सजा की मात्रा में दखल करते हुए तदनुसार कारावास की अवधि को चार वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया और अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का सम्बन्ध है, उच्च

न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन सजा को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया। दोनों सजाएं साथ साथ चलनी थी।

8. अपीलार्थी (अभियुक्त) ने व्यथित होकर इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका के रूप में यह अपील दायर की है।
9. अपीलार्थी (अभियुक्त) के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण के. सिन्हा और प्रत्यर्थी (राज्य) के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष कुमार शर्मा को सुना।
10. अपीलार्थी (अभियुक्त) के विद्वान अधिवक्ता ने केवल एक बिंदु पर तर्क दिया. उन्होंने सजा की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को दी गयी जेल की सजा को कम किया जाए।
11. उनके अनुसार, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलार्थी अब लगभग 78 वर्ष की आयु का है और हृदय रोग से पीड़ित है तथा घटना वर्ष 1985 की है और इस बीच 34 वर्ष बीत चुके हैं और अंततः अपीलार्थी लगभग एक महीने और 10 दिन का कारावास भुगत चुका है, इस न्यायालय को पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता के एक वर्ष के कारावास को घटाकर अपीलकर्ता द्वारा जेल में व्यतीत की गयी 1 वर्ष और 10 दिन की अवधि को ही पूर्ण कारावास माना जाये। इसके बजाय यदि उचित समझा जाये तो जुर्माना राशि बढ़ा सकते हैं।
12. प्रति उत्तर में प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश का समर्थन करते हुए तर्क किया कि तथ्यात्मक परिस्थितियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई सजा में और कमी का कोई मामला नहीं बनता है और इसलिए, अपील खारिज किये जाने योग्य है।
13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और वाद के अभिलेख के अवलोकन के बाद, हम अपील को अंशतः अनुमति देते हैं और नीचे दिए गए अनुसार सजा को कम करते हैं।

14.पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) इस प्रकार है:-

“(2) कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता है, उसे ऐसे कारावास की सजा दी जाएगी, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसकी अवधि सात साल तक हो सकती है और वह अर्थदंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि अदालत लिखित में दर्ज विशेष कारणों के लिए, एक वर्ष से कम कारावास की सजा दे सकती है।

15.पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) को पढ़ने से पता चलता है कि यदि कोई भी लोक सेवक, जो आपराधिक दुराचार करता है, उसे जिस अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी वो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो अर्थदंड के साथ 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।

16.वह प्रावधान जो अदालत को एक वर्ष से कम के कारावास की सजा देने का अधिकार देता है, बशर्ते एक वर्ष से कम की ऐसी सजा को कम करने के समर्थन में कोई विशेष कारण लिखित में दर्ज किए जाएं।

17.इसलिए, यह स्पष्ट है कि अदालत को सजा देने का अधिकार दिया गया है, जो जुर्माने के साथ 1 साल से 7 साल तक हो सकता है। हालाँकि, किसी विशेष मामले में, अगर अदालत को लगता है कि अभियुक्तों के पक्ष में कुछ विशेष कारण हैं तो न्यायालय को एक वर्ष से कम कारावास की सजा देने का अधिकार है, बशर्ते उन विशेष कारणों को कम सजा देने के समर्थन में लिखित रूप में निर्धारित किया जाए। जहां तक जुर्माना लगाने का सवाल है तो यह किसी भी जेल की सजा को लागू करते समय अनिवार्य है। कितना जुर्माना लगाया जाना चाहिए यह प्रत्येक मामले के तथ्य पर निर्भर करता है।

18.के.पी. सिंह बनाम राज्य (रा.रा.क्षे दिल्ली) (2015) 15 एससीसी 497 के मामले में इस न्यायालय ने कुछ इसी तरह के तथ्यों पर विचार किया कि जेल की सजा को कम करने के लिए किन कारकों / परिस्थितियों पर विचार किया

जाना चाहिए।

19. न्यायमूर्ति श्री टीएस ठाकुर (तत्कालीन न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश) ने अपनी विशिष्ट शैली और लेखन के अपने विशिष्ट अंदाज में इस प्रश्न की जांच इस न्यायालय द्वारा इस विषय पर निस्तारित पूर्व के वादों में प्रतिपादित विधि के आलोक में अपनी विस्तृत राय दी है और निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है: -

“10. किसी दिए गए मामले में दी जाने वाली सजा की पर्याप्तता का निर्धारण करना आसान काम नहीं है, जिस तरह एक समान दंड नीति विकसित करना एक कठिन काम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक मामले में दी जाने वाली सजा की जो मात्रा दी जा सकती है, कई प्रकार के कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें किसी विशेष मामले में गंभीरता कम करने वाली खास परिस्थितियां शामिल हैं। अदालत आमतौर पर सजा की मात्रा निर्धारित करने के मामले में विवेक का अधिकतम उपयोग करती है। ऐसा करते समय अदालतों को सजा के सुधारात्मक, निवारक और दंडात्मक, विचारण न्यायालय द्वारा वाद को निपटाने में की गयी देरी और कानूनी कार्यवाही, आरोपी की आयु, उसकी शारीरिक/स्वास्थ्य स्थिति, अपराध की प्रकृति, इस्तेमाल किया गया हथियार और आपराधिक परितोषण के मामलों में रिश्वत की राशि, सेवा से निष्कासन और अभियुक्तों के पारिवारिक दायित्वों जैसे कुछ पहलु भी विचारणीय तथ्य हैं जो प्रबल रूप से न्यायालय को सजा सुनाए जाने के समय अलग-अलग स्तर पर प्रभावित करते हैं। अदालतों ने उन तथ्यों पर

विस्तृत रूप से विचार करने का प्रयास नहीं किया है जो सजा की मात्रा निर्धारित करती है और न ही अदालतों ने उन प्रबलताओं को प्रतिपादित करने का प्रयास किया जो प्रत्येक तथ्य लिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह की कोई भी कवायद न तो आसान है और न ही ऐसी असंख्य स्थितियों में जिनमें निर्धारण करने का प्रश्न हो सकता है को देखते हुए सलाह दी जाती है। मोटे तौर पर कहें तो अदालतों ने पूर्व में उल्लेखित इन कारकों को पहचान लिया है जो दंड निर्धारण के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रासंगिक हैं। इस विषय पर इस अदालत ने असंख्य फैसले दिए हैं। हालांकि, केवल कुछ संदर्भ ही पर्याप्त होने चाहिए।

19. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हस्तगत मामले में विचारण और अपील की कार्यवाही लगभग 17 वर्षों तक जारी रही, जिसके कारण अब तक अपीलार्थी को भारी आघात, मानसिक पीड़ा और वेदना से गुजरना पड़ा और साथ ही इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि रिश्वत की राशि मात्र रु 700/- थी जबकि अपीलार्थी 6 महीने के न्यूनतम वैधानिक कारावास के स्थान पर पहले ही 7½ महीने के कारावास की सजा काट चुका है, इस सम्बन्ध में मेरे बंधू न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित सजा में कमी पूरी तरह से उचित प्रतीत होती है। इसलिए, मैं माननीय न्यायमूर्ति के मत से सहमत हूँ।

20. इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के पूर्वोक्त कथन को ध्यान में रखते हुए जब हम हस्तगत मामले के तथ्यों की जांच करते हैं तो सर्वप्रथम हम पाते हैं कि यह घटना 1985 की है; दूसरा, यह मामला पिछले 34 वर्षों से लंबित है;

तीसरे, अपीलार्थी अब 78 वर्षों का हो चुका है; चौथा, वह हृदय रोग से पीड़ित है जो स्वस्थ भी नहीं रहते हैं जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया; पांचवा, विचारण के दौरान और दोषसिद्धि के बाद अब तक अपीलार्थी कुल एक माह और 10 दिन की जेल काट चुका है; छठा, पिछले पुरे 34 वर्षों से अपीलार्थी जमानत पर था और किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुआ न ही दी गयी जमानत की किसी शर्त का उलंघन किया; सातवां, रिश्वत की राशि रु 1200/- थी; और अंत में पिछले 34 वर्षों में उन्होंने भारी आघात, मानसिक पीड़ा और वेदना भोगी है।

21. हमारे विचार में उपरोक्त 8 विशेष कारण हैं जो पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसलिए यह अदालत पीसी अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए तदनुसार निचली दोनों अदालतों द्वारा अपीलार्थी को सुनाये गए जेल कारावास को बदलती है और इसे "अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही काटी गई जेल अवधि", जो की 1 महीने और 10 दिन है में तब्दील करती है।
22. दूसरे शब्दों में, यह अदालत न्याय हित में अपीलार्थी की जेल की सजा को बदलकर "उसके द्वारा पूर्व में काटी जेल अवधि" में तब्दील करती है और साथ ही अर्थदंड को रु 3000/- से बढ़ा कर रु 10,000/- करती है।
23. इसलिए अपीलकर्ता को अब और अधिक जेल की सजा भुगतने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि अगर पूर्व में जमा रु 3000/- समायोजित करने के बाद वह रु 10000/- का अर्थदंड अदा करने में असफल होता है तो उसे तीन माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
24. यदि अपीलार्थी आज से तीन माह के अंदर रु 10000/- के अर्थदंड की राशि जमा करा देता है तो उसे व्यतिक्रम में कारावास भुगतने की आवश्यकता नहीं है। यदि वह रु 3000/- जमा करा चुका है तो उसे केवल रु 7000/- जमा करने होंगे।

25.पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है। आलोच्य आदेश को उपरोक्तनुसार संशोधित किया जाता है।

न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे

न्यायमूर्ति श्री दिनेश महेश्वरी

नई दिल्ली

फरवरी 05, 2019

---

खंडन (डिस्क्लेमर):- स्थानीय भाषा में निर्णय अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यावहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्रधारिता करेगा

---